A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी उनियारा जिला टोंक
प्रार्थना पत्र संख्या 66 वर्ष 2017
भंवर गोविन्द सिहं बनाम मुरारी लाल

क्रमांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील मे जारी हुए
15.09.2017	पत्रावली पेश हुयी । वादीगण की ओर से अधिवक्ता ने वाद बाबत स्थायी निशेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निशेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी बाद सूचना के अनुपस्थित रहा। प्रार्थी वकील ने हमे यह विश्वास दिलाया हैं कि प्रतिपक्षीगण बिना किसी वैधानिक अधिकार के प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 267 रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादी का दूर दराज का भी कोई लेना देना या सम्बन्ध नही है, परन्तु प्रार्थी बाहर निवास करता है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी अवैधानिक रूप से लढ के बल पर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। उक्त आराजी का दिनांक 30.6.2017 को सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है, उसके बावजुद प्रतिवादी जबरन प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृश्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रबल है । प्रतिपक्षीगण को ता फैसला जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे उक्त आराजीयात मे प्रार्थी के खातेदारी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे तथा ना काश्त मे बाधा , ना ही तार बन्दी करने, ना कब्जा करने का ही प्रयास करे, ना तो स्वयं और ना जरिये ऐजेन्ट, नौकर , पारिवारिक, ही भूमि को रहन बैचान व हस्तान्तरण करे। मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न हो। उपखण्ड अधिकारी उनियारा	